आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0– 58/2018–19
अब्दुल मन्नान वगै0
बनाम
ईमाम हुसैन वगै0

18.3.21

आदेश

आवेदक अब्दुल मन्नान, पिता– स्व0 साम मोहम्मद वगै0, सा0– रामनगर, थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग करें एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
थोपग्राम	334	680	06–08–17

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा– थोपग्राम, जमाबंदी नं0– 334, दाग नं0– 680, रकवा 06 बीघा 08 कट्ठा 17 धूर जमीन पोखर गेंजर सर्वे में अनावादी खाता में दर्ज है, जो पूर्व भू–स्वामी कृष्णा बेलासिनी सेन के देख–रेख में था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1 अप्रैल 1949 से लागु किया एवं 13 अप्रैल 1949 के गजट में प्रकाशित किया गया है। उक्त वर्णित दाग नं0– 680 के पोखर का भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा शाह मोहम्मद शेख के नाम से अंग्रेजी वर्ष के अक्टूबर 1944 में बन्दोबस्त की गई थी। शाह मोहम्मद शेख ने उक्त बन्दोबस्ती के आधार पर उक्त वर्णित पोखर के व्यवहार में आये एवं नामांतरण कराकर भूतपूर्व जमीनदार से लगान रसीद अपने नाम से निर्गत कराये। जमीनदारी उन्मूलन के बाद जमीनदारी प्रथा चली गई परन्तु रैयतों का अधिकार बरकरार रहा। जमीनदारी उन्मूलन के बाद अंचल कार्यालय में शाह मोहम्मद के नाम से जमाबंदी कायम कर पंजी II में नाम दर्ज किया गया एवं लगान राशि जमा किये। शाह मोहम्मद शेख ने बाद में अब्दुल मन्नान शेख वगैरह को निबंधित दान पत्र केवाला के माध्यम से हस्तांतरण किया गया। विपक्षीगण अवैध रूप से उक्त वर्णित पोखर के दखल में आये एवं मछली पालन कर रहे हैं। विपक्षीगण उक्त वर्णित पोखर का उपयोग पछली पालन एवं पटवन के रूप में करते हैं तथा मछली पालन के कारण अन्य को पोखर का पानी कृषि कार्य के लिए नहीं देते हैं। दाग नं0– 680 पर स्थित पोखर पटाल को विपक्षीगण अवैध रूप से कब्जा कर घेर कर दखल कर लिया है एवं पक्का का मकान बना लिया है, जिसे उक्त भूमि से उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जबाब में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा थोपग्राम के जमाबंदी नं0– 334, दाग नं0– 680, रकवा 06 बीघा 08 कट्ठा 17 धूर जमीन गेंजर सर्वे में अनावादी तालाब कह कर दर्ज है। उक्त भूमि का हस्तांतरण कई बार हो चुका है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस जमीन की खरीद–बिक्री होता है। इसलिए उक्त भूमि पर उच्छेदी की कार्रवाई संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत नहीं चलाया जा सकता

13/8/21

13/8/21

है। इसके लिए सक्षम न्यायालय है। आवेदकगण ने पोखर के बांध (पटाल) को विपक्षीगण के द्वारा दखल करने का आरोप लगाया है, जो गलत है। आवेदकगण ने उक्त आवेदन पत्र में कहीं नहीं लिखा है कि विपक्षीगण के द्वारा कितनी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त पोखर को लेकर आवेदक अबु सुफियान ने थाना प्रभारी, बरहरवा को आवेदन दिया था कि विपक्षीगण चोरी छीपे पोखरा से मछली पकडकर खाते हैं तथा पोखरा के बगल में दाग नं0– 680, जमाबंदी नं0– 334, रकवा 17 कट्ठा जमीन दो वर्ष पहले विपक्षीगण को आधी बंटाई पर दिया है। जिसका कोई फसल नहीं दिया है, इसको लेकर थाना प्रभारी के द्वारा अनुशंसा के बाद दोनों पक्षों के उपर दं0प्र0सं0 की धारा 107 जिसका क्रि0मि0 वाद सं0 35/2019 चल रहा था। जिसमें प्रथम पक्ष अपने कारण पृच्छा में भी उक्त आरोप लगाया है। आवेदक का आवेदन पत्र दुर्भावना से ग्रसित है। क्योंकि विपक्षी रौफ समीम ने श्रीमान् के न्यायालय में उक्त वाद के पहले राजस्व विविध वाद संख्या 02/2018–19 दायर किया है। उसी से बचने एवं दबाब बनाने के लिए आवेदकगण इस तरह का झुठा मुकदमा दायर किया है तथा आवेदक के द्वारा कारण पृच्छा एवं दाखिल आर0ई0 वाद में दोनों में काफी विरोधाभाष है। यह विवाद अनावादी पोखर का है, जिसका किसी भी रूप में खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है तथा भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा आवेदक के पक्ष में कोई लगान रसीद निर्गत नहीं किया है एवं उनके द्वारा दाखिल सारे लगान रसीद जाली एवं फर्जी है। भूतपूर्व जमीनदार ने उक्त पोखर से संबंधित कोई लिखित आवेदक के पक्ष या उसके विक्रेता के पक्ष में दाखिल नहीं किया गया है, जिसका कोई प्रमाण दाखिल नहीं कर सकता है। आवेदकगण उक्त अनावादी पोखर को दखल कर लिया है तथा मौजा के रैयतो को पटवन के लिए पानी देने, मवेशी को पानी पिलाने एवं मौजा के रैयतो को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाने नहीं देता है। उपयोग करने की बात पर झुठा केस में फसाने की धमकी देता है। जबकि विवादी पोखर सरकारी खास है और ना ही यह अधिकार व स्वत्व ही प्रदान करता है। उक्त वाद में अंचल अधिकारी, बरहरवा से अद्यतन जाँच रिपोर्ट की मांग की गई थी, जिसमें अंचल अधिकारी स्वयं विवादी पोखर पटाल पर से रोड पास किया है, जो एन0एच0 80 से थोपग्राम तक बना हुआ है, जो अलकतरा पीच का बना हुआ है तथा पोखर पटाल के किनारे ग्रामीणां का दो मंजिला मस्जिद अवस्थित है तथा इसी पोखर पटाल के किनारे में मेहर अली, पिता– स्व0 सुल्तान शेख, जाहीर शेख, बक्कर शेख, आबु शेख तालेक का घर है, जिसका उल्लेख जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित नहीं है। राजस्व कर्मचारी ने आवेदक के मेल में आकर सही तथ्य को छुपाते हुए जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया है। विपक्षीगण ने उक्त पोखर पटाल खाली भाग में रोड किनारे हरियाली के लिए 40 फलदार वृक्ष लगाये हैं। अतएव आवेदक के आवेदन पत्र को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 790/रा0, दिनांक 20.08.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा थोपग्राम, थाना नं0– 124 के अनावादी खाता नं0– 334 के अंतर्गत दाग नं0– 680, रकवा 06 बीघा 08 कट्ठा 17 धूर जमीन पूष्पकरणी कहकर खतियान में दर्ज है तथा पंजी ॥ के सृजन काल से दिनांक 25.10.1961 से वर्णित पुष्पकरणी पोखर शाह मोहम्मद शेख पिता हाजी मोबारक शेख, सा0– रामनगर के नाम से अंकित है, जो आवेदक क्रमांक 01 के पिता एवं क्रमांक 02 के दादा है। निबंधित दान पत्र सं0 1717 दिनांक 17.05.1972 के द्वारा आवेदक के पिता एवं दादा ने मौजा थोपग्राम थाना नं0– 124, जमाबंदी नं0– 334, दाग नं0– 680 एवं 337 कुल रकवा 07 बीघा 05 कट्ठा 10 धूर पोखर को जमाबंदी रैयत हाजी साह ने अपने पुत्र अब्दुल हन्नान, अब्दुल मन्नान, पिता– हाजी साह ने प्राप्त किये हैं तथा नामांतरण वाद सं0– 342/1979–80 दिनांक 10.07.1979 के द्वारा नामांतरित है एवं 2014–15 तक लगान रसीद अद्यतन है तथा इनके दखल में है। जाँच में पाया कि स्थानी विपक्षीगण इमाम हुसैन, जोहाक शेख, हुमायुन शेख, तैमुर शेख, पिता– स्व0 जावेद अली एंव नजरूल शेख, पिता– इमाम होसेन, रेजातुला शेख, पिता– इमाम् होसेन, रौफ

13/8/21

समीम, पिता– जोहाक अली, सा0– थोपग्राम (काठगोला) के रहने वाले है ने आवेदकगण के दाग नं0– 680 रकवा 06 बीघा 08 कट्ठा 17 धूर पोखर के अंतर्गत पटाल पर अवैध ढंग से बांस एवं तार से घेर कर दखल कर लिये हैं तथा दाग नं0– 680 में पटाल पर विपक्षीगण ने एक्के का मकान बना लिये है। विपक्षीगण द्वारा कोई वैध कागजात अपने पक्ष में नहीं दिखाये और न ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत किये। अधोहस्ताक्षरी एवं पुलिस बल के साथ स्थल पर जाकर दाग नं0– 680 के पटाल में विपक्षीगण द्वारा बांस एवं तार के घेरे गये पटाल को खाली करा दिया गया, लेकिन सप्ताह के अन्दर ही विपक्षीगण द्वारा पुनः बांस एवं तार से अवैध ढंग से घेर दिया तथा पुनः मना करने पर नहीं माने। अतः विपक्षीगण को नियमानुसार उच्छेदी की कार्रवाई की जा सकती है, से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कागजात की सूचीः–

1. अंचल अधिकारी, बरहरवा के एल0पी0सी0 नं0– 560/2018–19 दिनांक 16.08.2018 की छाया प्रति।
2. मौजा थोपग्राम जमाबंदी नं0– 334, रकवा 07 बीघा 05 कट्ठा 10 धूर रैयत अब्दुल हन्नान के नाम से निर्गत लगान रसीद की छाया प्रति।
3. मौजा थोपग्राम जमाबंदी नं0– 334 अनावादी हाल सर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।

विपक्षी की ओर से अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं किये हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मौजा थोपग्राम के जमाबंदी नं0– 334, दाग नं0– 680, रकवा 06 बीघा 08 कट्ठा 17 धूर पोखर के अंतर्गत पटाल पर विपक्षीगण ने बांस एवं तार से घेर कर अवैध ढंग से दखल कर लिये हैं तथा पटाल पर पक्के का मकान बना लिये हैं। विपक्षीगण द्वारा उक्त वर्णित जमीन से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं दिखाये हैं।

अतएव विपक्षीगण को उक्त वर्णित जमीन में स्थित पोखर पटाल से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 1949 की धारा 35 के तहत् उच्छेद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.04.09 15:24:06 +05:30
Location: 192.168.0.155